संख्या-29/2026/I/1251893/2026/File No.65-2002(002)/4/2024

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2026

विषयः-जनपद-बहराइच में नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु विद्यालय भवन + छात्रावास के निर्माण कार्य के लिये तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4774/दि0ज0स0वि0/निर्माण/समेकित-बहराइच/2025-26 दिनांक 25.02.2026, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद-बहराइच में नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु विद्यालय भवन + छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु रू0 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-63/2024/I/828189/2024/File No.65-2002(002)/4/2024 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 द्वारा जनपद-बहराइच में नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु विद्यालय भवन + छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2463.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। साथ ही संदर्भगत कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 2455.89 लाख तथा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 720.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-70/2025/आई/1020522/2025/File No.65-2002(002)/4/2024 दिनांक 10.07.2025 द्वारा निर्गत किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु रू0 820.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. अत: उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद-बहराइच में नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु विद्यालय भवन + छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 800.00 लाख (रू0 आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(iii) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(iv) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा ।

(v) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(vi) प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन के लिये सभी भवनों में पहुॅच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित वातावरण बनाये जाने के लिये निर्गत "हार्मोनाइज्ड गाईडलाइन्स एण्ड स्टैण्डर्डस फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिविलिटी इन इण्डिया, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्माण कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(vii) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(viii) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(ix) प्रायोजनान्तर्गत मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राफ्ट फाउण्डेशन का प्रावधान किया गया है।

(x) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xi) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्य मदें कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी हैं। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। अत: निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xii) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiii) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की होगी। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(xiv) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xv) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(xvi) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(xvii) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xviii) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(xix) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में भी किया जायेगा।

(xx) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(xxi) जिस कार्य/मद में वित्तीय स्वीकृति की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा और इसका समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxii) स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(xxiii) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xxiv) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(xxv) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxvi) वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं इस शासनादेश में अंकित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxvii) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो भी ब्याज अर्जित किया जायेगा, वह नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxviii) शासनादेश संख्या-70/2025/आई/1020522/2025/File No.65-2002(002)/4/2024 दिनांक 10.07.2025 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखशीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में निहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश कुमार यादव

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या दिनांक व तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) जिलाधिकारी, बहराइच।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बहराइच।

(6) प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।

(9) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।